रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये हैं, जो विधिवत नहीं है। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में प्रश्नगत रास्ता को गत 4 वर्षों से चालू होना बताया है, परन्तु पटवारी हल्का रिपोर्ट में इस रास्ते को 30–40 वर्षों से चालू होना बताया है। यह विरोधाभास स्थिति है। जो रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है, परन्तु गत 20 वर्षों से अधिक मौके पर चालू है, उसको ही धारा 251 आरटीए के तहत सर्वप्रथम संबंधित ग्रांम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोई करने का प्रावधान है, इस प्रावधान के तहत ग्रांम पंचायत को 45 दिवस के अंदर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है। इस अवधि के पश्चात ग्रांम पंचायत प्रकरण को संबंधित तहसीलदार को अपनी टिप्पणी सहित निस्तारण करने का प्रावधान है। तत्पश्चात ही संबंधित तहसीलदार सभी संबंधित पक्षकारों की सुनवाई कर धारा 251 आरटीए के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीयान द्वारा न तो संबंधित ग्रांम पंचायत में रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु प्रार्थीयान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया जिसकी विषय रास्ता स्वीकार करने तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु में गत 4 वर्षों से चालू रास्ता को खुलवाने का निवेदन किया है। इस प्रार्थना पत्र पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को तलब कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.05.16 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(भागीरथ शर्मा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़